

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

दाखिल खारिज रिविजन वाद संख्या - 19/2021

डोमन महतो वगै० बनाम् राज्य एवं बेबी देवी

आदेश की क्रम
संख्या
और तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की ग
कार्रवाई के बारे
टिप्पणी तारीख

23.05.2023

यह वाद आवेदक

यह वाद अपीलार्थी (1) डोमन महतो, पिता-स्व० बदन महतो, ग्राम-लबगा, पो०-बलकुदरा, थाना-बासल, जिला-रामगढ़, (2) बासुदेव महतो, पिता-स्व० बदन महतो, ग्राम-लबगा, पो०-बलकुदरा, थाना-बासल, जिला-रामगढ़, (3) बाबुलाल महतो, पिता-स्व० जानकी महतो, ग्राम-लबगा, पो०-बलकुदरा, थाना-बासल, जिला-रामगढ़, (4) देवनाथ गोप, पिता-स्व० जानकी महतो, ग्राम-लबगा, पो०-बलकुदरा, थाना-बासल, जिला-रामगढ़, (3) चेतलाल गोप, पिता-स्व० जानकी महतो, ग्राम-लबगा, पो०-बलकुदरा, थाना-बासल, जिला-रामगढ़, के द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर के दाखिल खारिज अपील संख्या-28/2014-15 डोमन महतो वगै० बनाम राज्य एवं बेबी देवी में दिनांक-15.02.2021 को पारित आदेश के विरुद्ध U/S - 16 of Mutation Law के तहत रिविजन दायर किया गया है। वाद को अंगीकृत कर संबंधित पक्षों को नोटिस निर्गत करते हुए निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग की गई।

सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के द्वारा Compromise Petition दायर किया गया गया है जिसमें कहा गया है कि दोनों पक्षों के साथ उपरोक्त वाद से संबंधित उत्पन्न विवाद का समझौता हो गया है। तथा इस बावत एक सुलहनामा निष्पादित किया गया है, उन्होंने उपरोक्त रिविजन वाद को वापस लेने की अनुमति वो स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया है। विद्वान सरकारी अधिवक्ता के द्वारा आपत्ति नहीं किया गया है।

अतः दोनों पक्षों के द्वारा दायर Compromise Petition के आधार पर इस वाद की कार्यवाही बिना किसी प्रभावकारी आदेश के समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

शाखी निष्ठा
23.5.2023
उपायुक्त,
रामगढ़।

शाखी निष्ठा
23.5.2023
उपायुक्त,
रामगढ़।